न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : बी0 एल0 कोठारी, आई.ए.एस

विभागीय अपील संख्या 01/2019

अपीलान्टस	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
अन्जू कालवा, ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत सुमेल, हाल– सेन्दडा, पंचायत समिति, रायपुर पाली।		मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली।

विभागीय अपील अन्तर्गत राज0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 91 (4)(ख) विरूद्ध आदेश क्रमांक जिपपा/संस्था/डीईसी/15/610 दिनांक 5.4.2016 जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पाली के द्वारा सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत पारित करते हुए अपीलार्थीया की दो वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्डादेश पारित किया।

उपस्थितिः—

1. अपीलार्थीया स्वयं उपस्थित।
2. विभागीय पैरोकार पंचायत प्रसार अधिकारी जि.प.पाली अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 11 जून,2019

अपीलार्थीया के द्वारा अपील में उल्लेखित तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलार्थीया के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पाली के द्वारा राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 16 के तहत विभागीय जॉच कार्यवाही सम्पादित करने के उपरान्त अपीलार्थीया की दो वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने पर अपीलार्थीया के द्वारा यह अपील राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 23 तथा राज0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 91 (4)(ख) के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थीया की अपील पर जिला परिषद कार्यालय पाली से टिप्पणी एवं मूल पत्रावली तलब की गई। जिसका अवलोकन किया। दौरान सुनवाई अपीलार्थीया ने अपनी अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थीया वर्तमान में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत सेन्दडा, पंचायत समिति रायपुर जिला पाली के पद पर कार्यरत रहते हुए सेवाकाल में सभी प्रकार के कार्य ईमानदारी एवं तत्परता से सही समय पर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अपने पदीय दायित्वों के अधीन रहकर सम्पादित करती आ रही है।

पचायती राज विभाग की ओर करवाई गई विभागीय जॉच में उल्लेखित आरोपों अनुसार दर्शाई गई दुरूपयोग वाली राशि को विकास अधिकारी महोदय, सहायक अभियन्ता महोदय पंचायत समिति तथा अन्य अधिकारियों के कहने अनुसार तथा शासन सचिव एवं आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के पत्रांक एफ.7()परावि/एसबीएक /जी/सोलर लाईट/2014/348 दिनांक 2.3.2015 द्वारा आदेशित किये गये अनुसार यदि कर्मचारी द्वारा सोलर लाईट क्रय में निकाली गई वसूली राशि राजकोश में जमा करवा दी जाती है तो कार्मिक के विरूद्ध विचाराधीन विभागीय कार्यवाही नहीं की जाती थी। तब अपीलार्थीया के द्वारा उक्त राशि रूपये को ग्राम पंचायत सुमेल में जरिये रसीद संख्या 67/1024 दिनांक 29.9.2015 को जमा करवा दी थी। उसके उपरान्त भी अपीलार्थीया पर आरोपित आरोपों को प्रमाणित होना मानते हुए उसे दण्डित कर दिया।

अपीलार्थीया ने नियमों/परिपत्रों/पंचायत समिति के मार्गदर्शानुसार तथा निर्देशों का हवाला देते हुए श्रीमान अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रस्तुत किया था तथा निष्पक्ष रूप से तथा बिना किसी आर्थिक लालच के सीमित निविदा प्राप्त करते हुए न्यूनतम दरों पर ग्राम पंचायत क्षेत्र हेतु सोलर लाईटों का क्रय किया गया था जो कि सम्पूर्ण ग्राम पंचायत की ओर से पारित प्रस्ताव अनुसार तनिष्क सोलर इलेक्ट्रिक्लस बूंदी को टेण्डर जारी किये गये थे जिनकी जानकारी उक्त फर्म को टेण्डर जारी करने से लेकर अन्तिम भुगतान की कार्यवाही का ग्राम पंचायत सदस्यों, पंचायत समिति के सहायक अभियन्ता, विकास अधिकारी इत्यादि सभी को समय–समय पर पत्रों, जारी कार्योदेशों तथा सूचनार्थ पत्रों के जरिये उन्हें अवगत करावा दी थी। अगर ग्राम पचांयत की ओर से जारी सीमित निविदा को नियम विरूद्ध था तो तत्समय ही सहायक अभियन्ता एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति को ऑब्जेक्शन उठाना चाहिये था तथा सीमित निविदा प्रकिया को रूकवा देना चाहिये था। अपीलार्थीया जो कि एक महिला है तथा पंचायत नियमों का विस्तृत विश्लेषण नहीं कर पाती थी तो वह अपने से वरिष्ठ अधिकारियों (सरपंच/कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/विकास अधिकारी इत्यादि) /जानकारों से मार्गदर्शन लेकर ही राजकार्य सम्पादित करती आ रही है। इसके अलावा एक महिला होने के नाते अपीलार्थीया का अपने पद के प्रति विशेष दायित्व भी रखती थी जिससे किसी राजकार्य में किसी प्रकार की कोई त्रृटि या लापरवाही न हो।

अपीलार्थीया ने निवेदन किया कि आरोपित आरोपों अनुसार सोलर लाईटो के क्रय, उनके स्थापन में कोई वित्तीय या तकनीकी त्रुटि कारित हो रही थी तो उसके लिये पंचायत समिति के तत्समयी तकनीकी, प्रशासनिक अधिकारी भी पूर्ण रूप से बराबर के

जिम्मेदार बनते थे परन्तु उनके विरूद्ध किसी प्रकार की कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की गई मात्र अपीलार्थीया महिला कार्मिक को एकमात्र दोषी दर्शाया जाकर उसकी दो वार्षिक वेतन वृद्धियॉ रोकने का दीर्घकालिक दण्डात्मक आदेश पारित कर दिया जो अपीलार्थीया के भविष्य की राजकीय सेवा को अन्तिम समय तक बाधित करता रहेगा।

अपीलार्थीया के द्वारा श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पाली के द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.4.2016 के विरूद्ध अपील तैयार करवाकर श्रीमान शासन सचिव एवं आयुक्त महोदय, पंचायती राज विभाग जयपुर को दिनांक 15.6.2016 को उनके कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत कर दी थी। अपीलार्थीया की श्रीमान आयुक्त महोदय को अपील के सम्बन्ध में कार्यालय पत्रांक एफ.13 (80)परावि/प्रशा2/ ग्रा0से0/ जॉच/राजसमंद/16/3787 दिनांक 20.09.16 के द्वारा अपीलार्थीया की अपील को उनके विभाग की ओर से जारी अधिसूचना कमांक 1301 दिनंक 2.8.2011 के अनुसरण में संभागीय आयुक्त जोधपुर को अधिकृत कर दिये जाने के कारण भिजवा दी गई परन्तु काफी समय व्यतीत होने के उपरान्त भी इस प्रकार की कोई सूचना/जानकारी अपीलार्थीया को प्राप्त नही होने पर अपीलार्थीया के द्वारा श्रीमान के कार्यालय में सम्पर्क कर ज्ञात किया तब कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि अपीलार्थीया की अपील दर्ज नहीं हुई है। तब अपीलार्थीया द्वारा पंचायती राज विभाग में सम्पर्क किया कि तो उनकी ओर से कहा कि उनकी अपील को तत्समय दिनांक 20.9.2016 को ही संभागीय आयुक्त को प्रेषित कर दी थी जिसकी एक फोटो प्रति उनके कार्यालय से प्राप्त करते हुए पुनः अपील तैयार करवाई गई ऐसे में उक्त विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील को अन्दर म्याद मानते हुए स्वीकार करावें। तथा अपीलार्थीया अपील स्वीकार की जावे एवं श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पाली के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 5.4.2016 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थीया को दोषमुक्त करते हुए उसकी रोकी गई दो वार्षिक वेतनवृद्धियॉ को बहाल किया जावें।

जिला परिषद पाली के द्वारा अपीलान्ट की अपील पर प्रेषित टिप्पणी में अंकित किया गया कि अपीलार्थीया को आरोपित आरोपों के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर दिया गया तथा उनकी ओर से प्रस्तुत प्रत्युतर के सम्बन्ध में व्यक्तिगतं सुनवाई भी की गई। अपीलार्थीया पर आरोपित आरोप के सम्बन्ध में विभाग की ओर से निकाली गई राशि 77,000 रूपये अपीलार्थीया के द्वारा दिनांक 29.9.2015 को जमा करवाये गये है ऐसे में वे नियम विरूद्ध व्यय की गई राजकीय राशि के दुरूपयोग करने एवं ग्राम पंचायत को आर्थिक हानि पहुंचाने की स्वतः ही दोषी साबित हो जाती है। इसके अतिरिक्त ग्राम

सुमेल के कार्यो की जॉच राज्य स्तर से प्रशा0 अधिकारी/पर्यवेक्षक, लेखाधिकारी एवं तकनीकी अधिकारी की एक कमेटी के द्वारा की गई थी जिसमें सरपंच, ग्राम सेवक इत्यादि को दोषी माना गया तथा राज्य सरकार के निर्देश पर ही ग्राम सेवक के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश मिलने पर विभागीय जॉच कार्यवाही सम्पादित करते हुए उस पर दोष सिद्ध होने पर अपीलार्थीया की दो वार्षिक वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकी गई है। अतः उक्त अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखा जावें।

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिकथनों पर मनन किया एवं अपील में वर्णित तथ्यों तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली के द्वारा प्रेषित की गई टिप्पणी व विभागीय पत्रावली का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलार्थीया के विरूद्ध जो आरोप आरोपित किये गये है, वह संयुक्त सचिव, लोकायुक्त सचिवालय से प्राप्त शिकायत जिसमें ग्राम पंचायम सुमेल के द्वारा सोलर लाईट सिस्टम क्रय में की गई अनियमितता की जॉच निदेशक, सीसीडीयू, लेखाधिकारी मगॉनयोजना एवं अधीशाषी अभियन्ता पंचायती राज विभाग की गठित जॉच कमेटी के द्वारा की गई, उसके अनुसार ही अपीलार्थीया को अपने पदीय कर्तव्यों तथा क्रय कार्यवाही में अनियमितता का दोषी माना है। इसके अलावा सोलर लाईटों के क्रय किये गये अनियमित भुगतान राशि की वसूली में से रूपये 77,000/– अपीलार्थीया के द्वारा पुनः राजकोष में जमा करवाये गये है जिससे यह स्वतः ही अपीलार्थीया का दोषी होना साबित हो जाता है कि उसके द्वारा भी सोलर लाईटों के क्रय में सामुहिक रूप से राशि भुगतान की गई है। अपीलार्थीया के द्वारा अपनी अपील में ऐसा कोई नया तथ्य अथवा कोई निर्देश/नियम प्रस्तुत नहीं कर पाई है जिससे आरोपित आरोप में उल्लेखित तथ्य मिथ्या अथवा गलत साबित हो जाते। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों एवं रेकर्ड का अवलोकन करने के उपरान्त हम यह समझते है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.4.2016 को बहाल रखा जाना उचित रहेगा।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रस्तुत अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.4.2016 को यथावत रखा जाता हैं निर्णय आज दिनांक 11 जून, 2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बी0 एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर
जोधपुर